न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 19/2019

प्रार्थी :–

1. सोहनलाल पुत्र तिलोकराम
   जाति–गुर्जर, निवासी– बरसूणा, तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. कैलाशराम पुत्र देवाराम
2. निम्बाराम पुत्र देवाराम
3. बाउड़ी पत्नी देवाराम
4. लूणाराम पुत्र देवाराम
5. कालूराम पुत्र ओमप्रकाश नाबालिग
6. आशा पुत्री ओमप्रकाश नाबालिग
7. लोकेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश नाबालिक
   जरिये कुदरती वली माता अप्रार्थी सं. 8 सुगनीदेवी पत्नी ओमप्रकाश
8. सुगनीदेवी पत्नी ओमप्रकाश
9. मांगीलाल पुत्र स्व. आईदानराम जाति–गुर्जर निवासी–बरसूणा तहसील जायल
10. सरजूदेवी पुत्री स्व. आईदानराम
11. तुलछादेवी पुत्री स्व. आईदानराम
12. हीरादेवी पुत्री स्व. आईदानराम
13. तिलाराम पुत्र मुगनाराम
    जातियान–गुर्जर, तहसील–जायल जिला–नागौर (राज.)
14. हिम्मतसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति–राजपूत, निवासी–बरसूणा तह. जायल
15. तहसीलदार जायल।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड़ प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री एस.एस.कालवी अप्रार्थी सं. 2, 4, 9 से 12 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 1, 3, 5 से 8, 13, 14 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
4. अप्रार्थी संख्या 15 उपस्थित।

30/03/2024
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

दिनांक : 30/03/2024

— : : आदेश : : —

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत ग्राम बरसूणा तहसील–जायल में हाल खसरा नं. 481/316 है। इसी प्रकार खेत खसरा नं. 446/315 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के नाम, खसरा नं. 316, 315 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 9 से 12 के नाम, तथा खसरा नं. 313 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 14 के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 481/316 में प्रवेश करने हेतु खसरा नं. 316 की दक्षिणी सीमा के अन्दर तथा खसरा नं. 315, 313 की दक्षिणी सीमा के अन्दर रास्ता दर्ज नहीं है। यही रास्ता अन्य खातेदारान् के आवागमन का रहता आया है। प्रार्थी के आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से रास्ते बाबत् अनुयन विनय करने पर भी सहमति नही दी है , न ही भूमि के बदले भूमि देने से ही रास्ता घोषित करवाने हेतु अप्रार्थीगण सहमत हुये। अतः यह प्रार्थना पत्र पेश जाकर निवेदन है कि प्रार्थीगण को माफिक प्रार्थना पत्र नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार 30 फीट चौड़ाई में नियमानुसार देय डी.एल.सी. दर अनुसार प्रतिकर राशि के बदले रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार जायल को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट दिनांक 28.12.2017 को प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या अप्रार्थी संख्या 2, 4 व 9 से 12 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एस. कालवी ने दिनांक 09.06.2020 को वकालातनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 5 से 8, 14 के सम्मन बावजूद तामील सूचना के प्राप्त होने पर गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थना पत्र के संबंध में मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल से जरिये पत्रांक भू. अ./2020/500 दिनांक 17.02.2020 के प्राप्त हुई। जिसमें मौका रिपोर्ट निम्न प्रकार दर्शित की गई :–

1. यह कि प्रार्थी के खेताय के लगने वाले सभी कटाणी/कदमी रास्तों को संलग्न नक्शा में दर्शाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

2. यह है कि वर्तमान में प्रार्थी अपने खेत खसरा नं. 481/316 में प्रवेश हेतु खसरा नं. 316 के खातेदार मांगीलाल द्वारा मना किये जाने पर प्रार्थी का खेत खसरा नं. 481/316 व 316 भी बिना काश्त किये हुये पड़ा है। खसरा नं. 316 के खातेदार आईदानराम की मृत्यु हो चुकी है।
3. यह है कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 481/316 में प्रवेश हेतु प्रार्थी द्वारा नजरी नक्सा अनुसार प्रस्तावित रास्ते की दूरी न्यूनतम है। खसरा नं. 313 व 280 एवं खसरा नं. 314 व 526/279 के बीच कटाणी रास्ता मौके पर चालू नहीं है, जबकि खसरा नं. 280 के दक्षिण पूर्व कोने से खसरा नं. 313 के दक्षिण पूर्व कोने तक मौके पर कदीमी रास्ता चल रहा है, उक्त खसरों की वर्तमान डीएलसी दर 35393 रू. प्रति बीघा है।
4. प्रस्तावित रास्ते के उपभोग में आने वाली भूमि का माप माफिक मौका रिपोर्ट में तकमीना अनुसार प्रदर्शित है।

मौका रिपोर्ट स्पष्ट नहीं होने पर वकुलाय के द्वारा पर आपत्ति जाहिर करने पर प्रकरण हाजा में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। जिसकी पालना में उक्त मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक : 1581 दिनांक 30.06.2018 के प्राप्त हुई। तहसीलदार जायल ने पुनः मौका रिपोर्ट संबंधित पक्षकारान् को जरिये नोटिस सूचित करते हुये तैयार की गई। उक्त मौका रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता खातेदारी खेत खसरा नं. 481/316 में प्रवेश हेतु निकटतम रास्ता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/वांछित रास्ते पर किसी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण नहीं है। तहसीलदार जायल ने मौका रिपोर्ट में बताया कि मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरीनक्शा में दर्शाये मार्क ए–ई व ए–एफ मौके पर रास्ता विद्यमान नहीं है, जबकि खसरा नं. 280 की दक्षिणी सींव, खसरा नं. 314 के उतरी और पश्चिमी सींव पर कदीमी रास्ता चलन में है।

वकील अप्रार्थी संख्या अप्रार्थी सं. **2, 4, 9 से 12** के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना के पत्र के संबंध में पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी लिखित में किसी प्रकार की आपत्ति/जवाब पेश नहीं की। चूंकि हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधीनियम 1955 के तहत है, जिनका निस्तारण नियमानुसार निर्धारित समय सीमा 90 दिवस में किया जाना होता है, परन्तु प्रकरण का अवलोकन किये जाने से प्रकरण दिनांक 19.08.2019 अर्थात 1 वर्ष 6 माह (लगभग) से लम्बित चल रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रकरणो में तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाना तथा अप्रार्थीगण को सूचित करना साथ यदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/वांछित रास्ते के संबध में अप्रार्थी पक्ष किसी

प्रकार की आपत्ति करना चाहे तो प्रारंभिक आपत्तिया प्राप्त की जाकर निस्तारण किया जाना होता है। हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट दिनांक 30.06.2020 को प्राप्त होकर सामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 5 से 8 व 13, 14 प्रकरण में बाजवूद सूचना के अनुपस्थित रहे है, जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रकरण को अन्तिम बहस हेतु नियत किये जाने पर अधिवक्ता श्री एस.एस.कालवी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी. अप्रार्थी संख्या 14 के विरूद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त किये जाने के संबंध में पेश किया जिसकी प्रतिलिपि वकील प्रार्थी को दिलाई गई जिन्होने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर की आपत्ति जाहिर नहीं करने पर प्रार्थना पत्र 09 नियम 9 सी.पी.सी. दिनांक 16.03.2021 को स्वीकार किया गया तथा अप्रार्थी के जवाब/आपत्ति हेतु मिसल नियत की गई।

वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 14 की ओर से दिनांक 18.03.2021 को जवाब/आपत्ति पेश की जिसमें अंकित किया कि प्रार्थी 481/316 के खेत के लिए 30 फीट चौड़ाई में रास्ता चाहा है जो कि संभव नहीं है क्योंकि प्रार्थी के खेत के लिए कोई रास्ता अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 313 में से नहीं चलता है, प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिए खसरा नं. 321 की पूर्वी माठ से होकर खसरा न. 315 जो प्रार्थी के पिता की सहखातेदारी का को मे से होते हुये खसरा नं. 316 में होकर जा सकता है, जिधर से रास्ता नजदीकी हो सकता है। परन्तु प्रार्थी ने खसरा नं. 321 के खातेदार को पक्षकार संयोजित नहीं किया है, अतः प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता तकनिकी व कानूनी रूप से गलत है तथा नजदीकी रास्ता नहीं है। इसी प्रकार खसरा नं. 313 तथा खसरा नं 280 के बीच चलकर खसरा नं. 280 की पूर्वी माठ पर जिस पर मुड़िया (ग्रेवल सड़क) चल रही है। जो मौका रिपोर्ट से प्रमाणित है। इसी प्रकार प्रार्थी ने रास्ता खसरा नं. 314 की, उतरी माठ से होकर मांगा है जो कि अधिक लम्बाई का होने से तकनिकी रूप से गलत है। प्रकरण में मौका रिपोर्ट में भी रास्ता मार्क ए–बी गलत दर्शाया है जबकि सही व नजदीकी रास्ता मार्क एफ से बी–सी से होकर किया जा सकता है। अतः प्रकरण में भू–अभिलेख मौका रिपोर्ट दुबारा प्राप्त की जाकर निर्णय पारित किया जावे।

वकील प्रार्थी ने प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 14 द्वारा प्रस्तुत जवाब में आपत्ति जाहिर करते हुये निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के तहत है जो कि सम्मरी प्रोसेडिंग के तहत आते है जिनका निर्धारित समय सीमा 90 दिवस में निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है। उक्त प्रकरण माह अगस्त 2019 से लम्बित चल रहा है, ओर केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 14 द्वारा प्रार्थना पत्र का 1 साल 7 माह बाद एक पक्षीय कार्यवाही मनसुख

करवाकर अपनी आपत्ति जाहिर कर पुनः मौका रिपोर्ट हेतु निवेदन किया, जबकि प्रकरण में दो बार रिपोर्ट मंगवाई जा चुकी है एवं दोनो बार एक ही रिपोर्ट आई है, जो कि वकील अप्रार्थी द्वारा प्रकरण को केवल लम्बा करने की नियत से ही पेश किया जाना प्रतीत होता है। अतः पुनः मौका रिपोर्ट मंगाये जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वकील अप्रार्थी द्वारा अपना पक्ष जवाब में पेश कर दिया है। अतः पुनः मौका रिपोर्ट नहीं मंगाई जाकर प्रकरण को बहस अन्तिम हेतु नियत किया जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे।

चूंकि वकील प्रार्थी के कथनानुसार उक्त प्रार्थना पत्र संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) का होने से निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जाना होता है। उक्त प्रकरण को 1 वर्ष 7 माह से अधिक अवधि व्यतीत हो चुका है। वकील अप्रार्थी संख्या 14 द्वारा इतना समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त अब अन्तिम निस्तारण के समय प्रार्थना पत्र में मौका रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर की तथा पुनः मौका रिपोर्ट को निवेदन किया है जो कि प्रकरण को केवल लम्बा करने की नियत से किया जाना प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में इस स्टेज पर पुनः मौका रिपोर्ट मंगाये जाने के संबंध में आपत्ति बिन्दू स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया गया।

प्रकरण हाजा में अप्रार्थी संख्या 2, 4, 9 से 12 के वकील द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब/आपत्तिया पेश नहीं की है तथा प्रकरण काफी पुरानी अवधि का है अतः प्रकरण में बहस अन्तिम हेतु नियत किया गया है। बहस अन्तिम पर वकुलाय सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत ग्राम बरसूणा तहसील–जायल में हाल खसरा नं. 481/316 है। इसी प्रकार खेत खसरा नं. 446/315 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के नाम, खसरा नं. 316, 315 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 9 से 12 के नाम, तथा खसरा नं. 313 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 14 के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 481/316 में प्रवेश करने हेतु खसरा नं. 316 की दक्षिणी सीमा के अन्दर तथा खसरा नं. 315, 313 की दक्षिणी सीमा के अन्दर रास्ता दर्ज नहीं है। यही रास्ता अन्य खातेदारान् के आवागमन का रहता आया है। प्रार्थी के आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से रास्ते बाबत् अनुयन विनय करने पर भी सहमति नही दी है, न ही भूमि के बदले भूमि देने से ही रास्ता घोषित करवाने हेतु अप्रार्थीगण सहमत हुये। अतः यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को माफिक प्रार्थना पत्र नजरी

नक्शा में दर्शाये अनुसार 30 फीट चौड़ाई में नियमानुसार देय डी.एल.सी. दर अनुसार प्रतिकर राशि के बदले रास्ता स्वीकृत किया जावे।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य काल्पनिक, मनगढ़त व सारहीन बताया तथा निवेदन किया कि प्रार्थी 481/316 के खेत के लिए 30 फीट चौड़ाई में रास्ता मांग की जाना गलत है व संभव नहीं है क्योंकि प्रार्थी के खेत के लिए कोई रास्ता अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 313 में से नहीं चलता है, प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिए खसरा नं. 321 की पूर्वी माठ से होकर खसरा न. 315 जो प्रार्थी के पिता की सहखातेदारी मे से होते हुये खसरा नं. 316 में होकर जा सकता है, जिधर से रास्ता नजदीकी हो सकता है। परन्तु प्रार्थी ने खसरा नं. 321 के खातेदार को पक्षकार संयोजित नहीं किया है। इसी प्रकार खसरा नं. 313 तथा खसरा नं 280 के बीच चलकर खसरा नं. 280 की पूर्वी माठ पर जिस पर मुड़िया (ग्रेवल सड़क) चल रही है। जो मौका रिपोर्ट से प्रमाणित है तथा प्रार्थी ने रास्ता खसरा नं. 314 की उतरी माठ से होकर रास्ते की मांग की है जो कि अधिक लम्बाई का होने से तकनिकी रूप से गलत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा **251क** 'का वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध नहीं कर पाने से स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली में प्रार्थना पत्र, जवाब आपत्ति एवं तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट दिनांक 30.06.2020 का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने स्वय के खातेदारी खेत खसरा नं. 481/316 के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 316, 315, 313 में से माफिक नजरी नक्शानुसार रास्ता दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है। तहसीलदार जायल के मार्फत प्राप्त भू–अभिलेख मौका रिपोर्ट में प्रार्थी खातेदारी खेत खसरा नं. 481/316 में प्रवेश हेतु प्रस्तावित रास्ता निकटतम रास्ता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/वांछित रास्ते पर किसी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण नहीं है। तहसीलदार जायल ने मौका रिपोर्ट में बताया कि मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरीनक्शा में दर्शाये मार्क ए–ई व ए–एफ मौके पर रास्ता विद्यमान नहीं है, जबकि खसरा नं. 280 की दक्षिणी सींव, खसरा नं. 314 के उतरी और पश्चिमी सींव पर कदीमी रास्ता चलन में है।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नक्शा ट्रेस के अवलोकन से मूल खसरा नं 316 से खसरा नं. 481/316 व खसरा नं. 316 बनना एवं खसरा नं. 315 से खसरा नं. 446/315, 315 बनना स्पष्ट है तथा उक्त नक्शा ट्रेस में अंकितनुसार खसरा नं. 446/315 की पूर्वी सींव माठ एवं खसरा नं. 316 की दक्षिणी सींव माठ पर खसरा नं. 315 पट्टी के रूप में लाल स्याही से प्रदर्शित किया है, जो कि रास्त

के प्रयोजन स्वरूप रखा जाना प्रतीत होता है तथा उक्त खसरा नं. 315 की भूमि का उपयोग भी मौका रिपोर्ट में बताये अनुसार रास्ते हेतु किया जा रहा है। इसी प्रकार वकील अप्रार्थी ने भी यह स्वीकार किया है कि खसरा नं. 313 तथा 280 के बीच में चलने वाला रास्ता अपने स्थान पर नहीं चलता है तथा मौका रिपोर्ट में भी कटाणी रास्ता मार्क ई से एफ मौके पर यह रास्ता खसरा नं. 280 के पूर्वी माठ पर चल रहा है जिसपर ग्रेवल (मुड़िया) सड़क भी बनी है। उपरोक्त विवेचन, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् एवं मौका रिपोर्ट भू.अ. के अवलोकन से प्रार्थी के खेत खसरा नं. 481/316 के लिए रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होना सिद्ध होती है तथा प्रार्थी को वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क आर.टी.एक्ट 1955 स्वीकार योग्य पाया जाता है।

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के खेत खसरा नं. 481/316 के लिए माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम–बरसुणा तहसील–जायल के खसरा नं. 316, 446/315, 315, 313 में से तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 30.06.2020 के अनुसार 30 फीट चौड़ाई का रास्ता स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम–बरसुणा तहसील–जायल के खसरा नं. 316, 446/315, 315, 313 में से स्वीकृत रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी सोहनलाल से वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) प्रभावित खातेदार कृषक को नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करे। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट 30.06.2020 निर्णय/आदेश का भाग रहेगी।

तहसीलदार जायल माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

30/03/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल